निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
149/2019	10.12.2019	18.2.2026

रामोती पत्नि परसादी, माली निवासी धोधूपुरा तह. गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. नोला पुत्र रामसुखा, माली निवासी धोधूपुरा हाल निवासी कैमरी तहसील नादौती जिला करौली
2. रामधनी पत्नि हरसहाय, गुर्जर निवासी गहनोली तहसील बामनवास
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी जरिये शाखा प्रबन्धक
4. बैंक आफ बडौदा शाखा बामन बडौदा जरिए शाखा प्रबन्धक
5. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन भूमि व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री मोहम्मद इस्लाम खान एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री इंदर लाल गुप्ता, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से

निर्णय

वादिया ने दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादिया एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि हाल ख०नं) 38 रकबा 0.49 हेक्टर, 57 रकबा 0.46 हेक्टर ग्राम धोधूपुरा मे स्थित हैं। जिसमें वादिया एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी सं० 1 व 2 की नियत खराब है, प्रतिवादी आये दिन वादिया के साथ झगडा फसाद करते रहते है तथा वादिया के हिस्से में व्यवधान पैदा करते है। प्रतिवादीगण वादिया को धमकी देते है कि वह उनके हिस्से की फसल से उनको लाभांवित नही होने देगें। प्रतिवादीया सं० 1 व 2 ने 19.11.2019 को वादिया को धमकी दी है कि वे उनके हिस्से पर भी कब्जा करेगें तथा उनको फसल से लाभांवित नही होने देगें। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि वादिया एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 के मध्य भूमि हाल ख0नं0 38 रकबा 0.49 हेक्टर, 57 रकबा 0.46 हेक्टर में उनके हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से पृथक पृथक विभाजन किया जावें। प्रतिवादी सं० 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादिया के कब्जेकाश्त में ना तो स्वयं व्यवधान पैदा करे ना ही किसी अन्य से करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:31:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 के अतिरिक्त अन्य सभी प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने जबाबदावे मे अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 2 रामधनी ने ख0न0 38 व 57 ग्राम धोधूपुरा मे उनके हिस्से 27/35 को बैंक मे रहन रखकर ऋण लिया था और उक्त ऋण राशि बैंक मे इकरार अनुसार अभी तक अदा नही की है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आपस मे साज कर इस दावे के जरिए बैंक को उसकी बकाया राशि अदा किये बिना बंटवारा कराना चाहते है जो न्यायोचित नही है। इस दावे मे आगे सुनवाई करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 2 से उक्त बैंक की बकाया राशि अदा करायी जावे। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादिया विरूद्ध प्रतिवादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

वादपत्र के समर्थन मे वादी ने नकल जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 161 ग्राम धूधूपुरा प्रदर्श 1 प्रस्तुत की है एवं स्वयं के बयान कराये है।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है।

प्रकरण मे वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर 20.9.2022 वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी से वादग्रस्त भूमि की विभाजन स्कीम चाही गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक भूअ/25/5316 दिनांक 06.11.2025 द्वारा विभाजन स्कीम प्राप्त हुई। विभाजन स्कीम पर उभयपक्ष के अभिभाषक को सुना गया। तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. दिनेश, राजूलाल, रामेश्वर, हरसहाय पि. [illegible] हि0ब0 हि 4/5, सीतादेवी पुत्र प्रसादी हि0 1/5 सा. देह खातेदार [illegible] मे भूमि ख0न0 57/2 रकबा 0.19 है0, ग्राम धूधूपुरा तह0 गंगापुर सि[illegible] रहेगी।

2. नोला पुत्र रामसुख जाति माली सा.देह [illegible]तेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 57/1 रकबा 0.0271 है0, ग्राम धूधूपुरा तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:31:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

3. रामधनी पत्नी हरसहाय, गुर्जर सा. देह गहनोली की खातेदारी मे भूमि ख0न0 57/3 रकबा 0.2429 है0, ख0न0 38 रकबा 0.49 है0 ग्राम धूधूपुरा तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। जमाबंदी मे दर्ज बैंक रहन सम्बधित खातेदारान के नाम यथावत रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18.2.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:31:53 IST
Reason: SelfAttested